गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 640/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 22.11.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
All Hon'ble Members
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,
Standing Committee of Academic Council
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
बिलासपुर (छ.ग.)
Bilaspur (C.G.)

विषय :– विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 226वीं बैठक दिनांक 22.11.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।
Subject :- Dispatch of minutes of 226th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 22-11-2025.

---0---

महोदय/महोदया,
Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 22.11.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 226वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 226th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 22-11-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ0 क्रमांक 641/बै.प्र./स्था.स./2025 बिलासपुर, दिनांक : 22.11.2025

प्रतिलिपि/Copy to :–

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for inf ormation of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव–अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/ Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय प्रति।
Office Copy.

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 226वीं बैठक दिनांक 22.11.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 226वीं बैठक दिनांक 22.11.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
3.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
5.	प्रो0 रामकृष्ण प्रधान	सदस्य
6.	प्रो0 पी.पी. मूर्ति	सदस्य
7.	डॉ0 निधि संदल, प्रभारी अधिष्ठाता विधि विद्यापीठ	सदस्य
8.	प्रो0 बी.डी. मिश्रा	सदस्य
9.	प्रो0 एम.सी. राव	सदस्य
10.	प्रो0 रेणु भट्ट	सदस्य
11.	प्रो0 नीलकंठ पाणिग्रही	सदस्य
12.	प्रो0 मनोज कुमार	सदस्य
13.	डॉ0 एम.एस. धपोला	सदस्य
14.	डॉ0 विनोद कुमार विश्वकर्मा	सदस्य
15.	डॉ0 गीता मिश्रा	सदस्य
16.	प्रो0 भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 अमित कुमार सक्सेना, निदेशक, आईक्यूएसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो0 एम.के. सिहं, प्रभारी–अधिष्ठाता–छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	डॉ0 सम्पूर्णानन्द झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	प्रो0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, निदेशक, ओडीएल	ऑनलाईन उपस्थित
23.	डॉ0 ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	विशेष आमंत्रित सदस्य
24.	डॉ0 सूरज शर्मा, प्रभारी–निदेशक, एमएमटीटीसी	विशेष आमंत्रित सदस्य
25.	प्रो0 आर.के. चौबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, यांत्रिकी	विशेष आमंत्रित सदस्य
26.	डॉ0 गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी–भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
27.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. प्रो0 एच.एस. तिवारी
2. प्रो0 एस.सी. श्रीवास्तव, निदेशक, शोध और विकास प्रकोष्ठ

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय की बढ़ोतरी में विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का सम्यक भागीदार होना आवश्यक है एवं प्रेरणादायी उद्बोधन दिया तदोपरान्त निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

Ranadive
22-11-2025

22/11/2025

विषय क्र.01	**विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 225वीं बैठक दिनांक 31.10.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**
निर्णय :–	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 225वीं बैठक दिनांक 31.10.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।
विषय क्र. 02	**विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 225वीं बैठक दिनांक 31.10.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**
निर्णय :–	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 225वीं बैठक दिनांक 31.10.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।
विषय क्र. 03.	**शोधार्थी प्रियंका साहू के VRET Exempted category में लिए गये प्रवेश एवं फेलोशिप पर विचार।**
निर्णय :–	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रकरण को स्थगित रखा जाय एवं विभाग को यथोचित कार्यवाही हेतु लौटा दिया जाय।
विषय क्र. 04.	**सत्यापन शुल्क में वृद्धि एवं एकरूपता के संबंध में विचार किये जाने विषयक।**
निर्णय :–	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सत्यापन शुल्क में वृद्धि एवं एकरूपता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय। स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दस्तावेजों के सत्यापन शुल्क में एक दस्तावेज के लिए 500/– रूपये एवं एक से अधिक दस्तावेजों के लिए 1,000/– रूपये निर्धारित किये जाय।
विषय क्र. 05.	**गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Northeastern Bamboo And Cane Handicraft Producer Company Limited, Agartala, Tripura के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**
निर्णय :–	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Northeastern Bamboo And Cane Handicraft Producer Company Limited, Agartala, Tripura के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।
विषय क्र. 06.	**गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।**
निर्णय :–	विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Chhattisgarh Institute of Medical Sciences, Bilaspur के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

Ranadive
22-11-2025

22/11/2025

विषय क्र. 07. **जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 23.07.2025 द्वारा अनुशंसित M.Sc. Biotechnology की संशोधित अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 23.07.2025 द्वारा अनुशंसित M.Sc. Biotechnology की संशोधित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन हो।

विषय क्र. 08. **वानिकी, वन्यजीवन एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.10.2025 द्वारा अनुशंसित NEP based M.Sc. Forestry की संशोधित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि वानिकी, वन्यजीवन एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.10.2025 द्वारा अनुशंसित NEP based M.Sc. Forestry की संशोधित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन हो।

विषय क्र. 09. **गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में तितली पार्क की स्थापना हेतु विचार एवं अनुमोदन के संबंध में विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव को स्थगित रखा जाय।

विषय क्र. 10. **सीडीओई के तहत ऑनलाईन मोड में फ्रेंच में 01 वर्षीय (दो सेमेस्टर) डिप्लोमा शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सीडीओई के तहत ऑनलाईन मोड में फ्रेंच में 01 वर्षीय (दो सेमेस्टर) डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने संबंधी प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 11. **सीडीओई की बैठक के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सीडीओई की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 06.11.2025 एवं अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 12. **सीडीओई के तहत ऑनलाईन मोड में बीबीए शुरू करने के लिए यूजीसी डीईबी को आवेदन करने के प्रस्ताव पर विचार।**

निर्णय :— विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सीडीओई के तहत ऑनलाईन मोड में बीबीए शुरू करने के लिए यूजीसी डीईबी को आवेदन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय एवं पाठ्यक्रम स्वीकृत कराने हेतु यथोचित प्रस्ताव डीईबी को प्रस्तुत किया जाय।

Rancdeve
22-11-2025

22/11/2025

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष ऑन लाईन माध्यम से संचालित होने वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए सुविधा केन्द्र बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रो0 सी.एस. वझलवार, अधिष्ठाता शिक्षा विद्यापीठ एवं उपनिदेशक सीडीओई द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका प्रो0 एस.सी. तिवारी, अधिष्ठाता प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ ने समर्थन किया। प्रस्तुत विषय पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रवेशार्थियों को प्रवेश संबंधी तकनीकि एवं अन्य सुविधा प्रदान करने हेतु एवं सुविधा केन्द्र बनाये जाने हेतु इच्छुक सेवा प्रदाता फर्म को उनके आवेदन के अनुक्रम में अनुमति पत्र प्रदान कर दिया जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष शिक्षा विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 24.09.2025 के कार्यवृत्त एवं प्रस्तावित पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित बी.एड. एवं बी.एड. स्पेशल के पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन हो।

अ.अ.वि.क्र .03 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा निष्काशित एवं प्रतिबंधित विद्यार्थी श्री सुदीप शास्त्री का आवेदन दिनांक 21.11.2025 एवं इस संबंध में विभाग से प्राप्त टीप प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण पर स्थायी समिति ने श्री सुदीप शास्त्री के आवेदन पर संवेदनशीलता प्रदर्शित की एवं आवेदक के आवेदन पर उनके हित में विचार करते हुए आवेदन के अनुसार सुनवाई का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष संगणक विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिकृत रहेंगे तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। स्थायी समिति के इस निर्णय से संबंधित विभाग को अवगत करा दिया जाय।

अ.अ.वि.क्र .04 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के द्वारा प्रो0 उत्पल एस. जोशी, कुलपति, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय को भौतिकी विभाग में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो0 उत्पल एस. जोशी को शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग के एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाय।

अ.अ.वि.क्र .05 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष शिक्षा विद्यापीठ के अधिष्ठाता प्रो0 सी.एस. वझलवार द्वारा शिक्षा विभाग में प्रो0 मीना हरिहरण, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), हैदराबाद विश्वविद्यालय को एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रो0 मीना हरिहरण को शिक्षा विभाग में एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाय।

Ranadive 22-11-2025

22/11/2025

अ.अ.वि.क्र .06 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विश्वविद्यालय के दस्तावेजों के संधारण, रख–रखाव एवं निस्तारण हेतु नीति प्रारूपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव अधिष्ठाता, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ने प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. इस संबंध में प्रभावी नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए यथोचित नीति का प्रारूप प्रस्तुत करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

22-11-2025 22/11/2025

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**